

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर।

क्रमांक प्रशि0/जीएनएम/जी-88/10/1409

दिनांक 01.07.10

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु आवेदन तिथि वृद्धि

इस निदेशालय की विज्ञप्ती क्रमांक प्रशि0/जीएनएम/जी-88/10/1109 दिनांक 21.05.10 द्वारा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2010-11 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 05.07.2010 (सायं 6 बजे तक) निर्धारित की गई थी, को दिनांक 09.07.2010 तक (सायं 6 बजे तक) एतद् द्वारा बढ़ाया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। शेष शर्तें यथावत रहेगी। विस्तृत विज्ञप्ती तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.rajaswasthya.nic.in पर उपलब्ध है।



(बी0के0 दोसी)

अति0 निदेशक (प्रशि0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- प्रशि/जीएनएम/जी-88/2010/1410

दिनांक:-01.07.10

निदेशक

जन सम्पर्क विभाग

राज0 जयपुर।

विषय:- जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2010-11 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विज्ञप्ति क्रमांक प्रशि0/जीएनएम/जी-88/2010/1409 दिनांक 01.07.2010 की दस प्रतियां संलग्न कर लेख है कि इनको राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक राष्ट्रदूत एवं दैनिक नवज्योति के सम्पूर्ण राजस्थान संस्करण में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कराने का श्रम करे।



अति0 निदेशक(प्रशि0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0 जयपुर।

क्रमांक:- प्रशि/जीएनएम/जी-88/2010/1410

दिनांक:-21.05.2010

प्रतिलिपि निम्न को विस्तृत एवं संक्षिप्त विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
4. उप शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज0 जयपुर।
5. रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रवेश विज्ञप्ति क्रमांक प्रशि0/जीएनएम/जी-88/2010/1409 दिनांक 01.07.10 को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।
7. जन सम्पर्क अधिकारी मुख्यालय को उपरोक्त विज्ञप्तियों की प्रतियां संलग्न कर लेख है कि इस विज्ञप्ति का संक्षिप्त समाचार (प्रेस नोट) समय समय पर राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
8. अध्यक्ष/सचिव राज0 प्राईवेट निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ैडरेशन जयपुर को उक्त विज्ञप्ति की प्रतियां संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
9. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।



अति0 निदेशक(प्रशि0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0 जयपुर।